न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 92/2020 **RCMS 2020/00184**

वादीगण

1. सुश्री मानवी उज्जैनिया पुत्री प्रवीण कुमार उज्जैनिया जाति रेगर निवासी ए–1, भारतेन्दू नगर खातीपुरा झोटवाड़ा जयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नगौर (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र बाबत् लिपिकीय त्रुटी अशुद्व को शुद्व करने बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री बनवारीलाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 28·10·2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पनवाड़ी के वर्तमान खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.41 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.18 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 0.60 हैक्टर कृषि भूमि में 627/20000 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी सुदा कब्जासुदा स्वामित्व व आधिपत्य की अन्य खातेदारों के साथ हक हिस्से की आई हुई है, जिस पर निर्विवाद रूप से काबिज खातेदार काश्तकार हूॅ, प्रार्थीया का सही वास्तविक नाम दस्तावेजों अनुसार मानवी उज्जैनिया पुत्री प्रवीण कुमार उज्जैनिया है, जबकि राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटि से अशुद्व नाम सलोनी पुत्री अनुकृति उज्जैनिया दर्ज कर दिया गया जो कि माता का नाम है जबकि राजस्व रेकार्ड में पिता का नाम दर्ज होना आवश्यक है इसलिए गलत एवं लिपिकीय त्रुटि से अशुद्व दर्ज हो गया है, लिपिकीय त्रुटि से दर्ज उक्त नाम को शुद्व मानवी उज्जैनिया पुत्री श्री प्रवीण कुमार उज्जैनिया दर्ज किया जाना आवश्यक है, प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम मानवी उज्जैनिया पुत्री प्रवीण कुमार उज्जैनिया अन्य सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, 10 वीं अंकतालिका में दर्ज है, उक्त दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है, प्रार्थीया के उक्त अशुद्व नाम की लिपिकीय त्रुटि होने से प्रार्थीया को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने व बैंक से ऋण लेने व राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए नाम की अशुद्वि होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीया प्राप्त होने वाले लाभों से महरूम हो रखी है , प्रार्थीया की प्रार्थना–पत्र है कि ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.41 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.18 हैक्टर बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.31 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

द्वितीय कुल रकबा 0.60 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में अशुद्व नाम सलोनी पुत्री अनुकृति उज्जैनिया के स्थान पर मानवी उज्जैनियां पुत्री प्रवीण कुमार उज्जैनियां जाति रेगर निवासी खातीपुरा तहसील झोटवाड़ा जिला जयपुर दर्ज करने के आदेश प्रदान फरमावें एव इस आशय के अंकन का इन्द्राज करने हेतु आदेश की एक तहरीर भूमिधारी तहसीलदार एवं संबंधित हल्का पटवारी को जारी की जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनॉक 14.10.2020 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त खसरा में सलोनी पुत्री अनुकृति उज्जैनियां हिस्सा 627/20000 अन्य खातेदारों के साथ खातेदारी दर्ज है, शेष तथ्य प्रार्थीया स्वंय सिद्व करे। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीया द्वारा नकल खतौनी सम्वत 2076--2079, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की मार्क शीट की प्रति, आधार कार्ड 766761142542 की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा राजकीय पैरोकार को सुना गया, प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड में अशुद्व प्रविष्टि को सही करने का निवेदन किया है, राजकीय पैरोकार द्वारा प्रार्थीया का हिस्सा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त खातेदारी में होना बताया तथा शेष तथ्य प्रार्थीया स्वयं सिद्व करने का कथन दौहराया है। उपलब्ध रेकार्ड केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की मार्क शीट की प्रति अनुसार प्रार्थीया का नाम मानवी उज्जैनियां पुत्री प्रवीण उज्जैनियां एवं माता का नाम अनुकृति उज्जैनिया अंकित है तथा आधार कार्ड नम्बर 766761142542 में भी मानवी उज्जैनियां पुत्री प्रवीण कुमार उज्जैनिया दर्ज चला आ रहा है, जबकि राजस्व रेकार्ड में सलोनी पुत्री अनुकृति उज्जैनियां जाति रेगर निवासी खातीपुरा जयपुर अंकित है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से साबित है कि प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि आधार कार्ड एवं मार्क शीट से होती है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.41 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.18 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 0.60 हैक्टर में खातेदार सलोनी पुत्री अनुकृति उज्जैनियां के स्थान पर सुश्री मानवी उज्जैनियां पुत्री प्रवीण कुमार उज्जैनियां जाति रेगर निवासी ए–1, भारतेन्दू नगर, खातीपुरा झोटवाड़ा जिला जयपुर राजस्थान शुद्व प्रविष्टि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्व दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 28/10/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by BabuLal Jat
Date: 2020.10.31 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested